न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 147/2018

प्रार्थीगण

1. बाबुराम पुत्र श्री गिरधारीराम फौत जिनके कायम मुकाम
   1/1 स्वरूपराम पुत्र श्री बाबुराम
   1/2 दलाराम पुत्र श्री बाबुराम
   1/3 नरसिंगराम पुत्र श्री बाबुराम
   1/4 बीजाराम पुत्र श्री बाबुराम
   1/5 सुखी पत्नी श्री बाबुराम
2. हीरो पत्नी श्री गिरधारीराम
3. पुखराज गोदपुत्र देवाराम
4. कवू पत्नी श्री देवाराम
5. नेमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम
6. पेपों पत्नी री राजूराम
7. धनाराम पुत्र श्री राजूराम
8. उतमराम पुत्र श्री राजूराम
9. सुरजाराम पुत्र श्री राजूराम
10. सुखी पत्नी श्री बाबुराम
11. धापू देवी पत्नी श्री नेमाराम
12. नेमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम

सभी जाति मेघवाल निवासी ग्राम केरलानगर तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर।

बनाम

अपार्थीगण :–

एलची पत्नी श्री केशाराम जाति मेघवाल निवासी ग्रम नेवरा तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिह भाटी

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिह भाटी

–::निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:18 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक 26.11.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश [illegible] केरला नगर के खसरा सख्या 1334 रकबा 104 बीघा 1[illegible] [illegible] संयुक्त खातेदारी व क[illegible]त सुदा अविभाजित आई हुई हे। उक्त भूमि की जमाबन्[illegible]ी नकल प्रार्थीगण द्वारा [illegible]त्र के साथ पेश की उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की पैत्रिक अविभाजित भूमि है जिसके राजस्व रेकर्ड में माडुदेवी पुत्री श्री भीकली का नाम दर्ज है

Scanned by CamScanner

लेकिन मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है माड़ू देवी पीछले 50 वर्षो से अपने ससुराल में निवासी करती है। माड़ु पुत्री श्री भीकली का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने माड़ूदेवी पुत्री श्री भीकली का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने के लिए कहा तो माड़ू देवी ने कहा कि मौका मिलने पर राजस्व रेकर्ड से अपना नाम हटवा देंगे माड़ू देवी पुत्री भीकली का नाम राजस्व रेकर्ड कागजी दर्ज था जबकि मौके पर वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होने से उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण पजेशन के आधार पर अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक अविभाजित भूमि है जिसके राजस्व रेकर्ड में माड़ू देवी का नाम दर्ज है जबकि मौके पर कोई कब्जा काश्त पीछले 50 वर्षो से नही रहा अभी हाल ही में दिनॉक 22.10.2018 को अप्रार्थीगण सख्या 01 ने वादग्रस्त भूमि में आकर अच्छी कीमती सडक पर स्थित भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी तथा बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 02 से खरीद की है इसलिए प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब्जा करेगी जबकि वादर्गस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण सख्या 02 का कभी भी कब्जा काश्त रहा तथा न ही आज दि नही है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने से बाले बाले कागजी बेचान किया है जो प्रार्थीगण के हिता के विरूद्व नल एवम वाईड शुन्य प्रभावी है इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सख्या 01 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक अविभाजित भूमि है जिसके सम्पूर्ण भाग प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण सख्या 02 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है विकेता अप्रार्थीगण सख्या 02 की माता की मृत्यु से पहले अपने ससुराल में पीछले 50 वर्षो से निवास करती है। अन्त में ईस्तइदुआ चाही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम केरला के खसरा सख्या 1334 रकबा 104 बीघा 17 बिश्वा भूमि में अप्रार्थीगण सख्या 01 ने अपना हिस्सा घोषणा करवाए व मिटस एवम बाउन्डस से विभाजन करवाए बिना सडक पर कीमती भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल नही करे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 02 की सयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील ओसियाू के राजस्व ग्रम केरलानगर में अवश्य ही आयी हुई है लेकिन उक्त भूमि मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग अलग से रूप से विभाजन कर काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण सख्या 02 का अलग से तारबदी आदि की हुई है तथा मौके पर 1/16 हिस्सा जिसका प्रभावित रकबा 06 बीघा 11 बिश्वा भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि बाबत प्रार्थीगण का कोई विवाद नही है। चूकि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का काबिज व रेकर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अन्त में प्रार्थीगण का का प्रार्थना पत्र खारिज करने की [illegible] चाही।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] अपने [illegible]स में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि में [illegible] है जो बिना विभाजन करवाए वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नही करे तथा [illegible] प्रार्थना पत्र में स्वीकार करने हेतु कहा । अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वागद्रस्त भूमि माड़ू देवी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी जिसमें माड़ू देवी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो का प्रयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी को बेचान की है तथा मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है केवल मात्र प्रार्थीगण बदनियतीपूर्वक

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण दर्ज नही होने देने के आशय से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के साथ ही साथ माडू देवी भी सयुक्त खातेदार है तथा माडू देवी ने अपना 1/16 हिस्सा बेचान किया है तथा प्रार्थीगण द्वारा बेचाननामा पेश किया है जिसमें भी उक्त हिस्सा अप्रार्थी को बेचान करना बताया है जिस बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नही किया गया है । चूंकि अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस व जबाब में बताया है कि अप्रार्थी का स्थगन आदेश के कारण नामान्तरकरण दर्ज होने से रूका हुआ है इसलिए अप्रार्थीगण को नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत स्वतंत्र किया जाता है।

–::आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंशतः स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम करलानगर के खसरा सख्या 1334 रकबा 104 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलदांजी नही करें तथा न ही किसी अन्य से करावे । जबकि अप्रार्थी बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति से वादग्रस्त आराजी को मुक्त किया जाता है।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

निर्णय आज दिनॉक 28.11.2019 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner